आर्यावर्त बैंक

प्रधान कार्यालय, A-2/46, गोमती नगर, लखनऊ (उ०प्र०)-226010
दूरभाषः 7518701623, ई-मेल: pensioncell.headoffice@aryavartbank-rrb.com

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में संशोधित पेंशन योजना लागू करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में दिनांक 01.11.1993 से पेंशन लागू करने हेतु निर्देशित किया है (वर्तमान पेंशन योजना दिनांक 01-04-2018 से प्रभावी है)|

आप सभी को सूचित करना है कि कृपया ऐसे सदस्य / दिवंगत सदस्यों के परिवारजन जो पूर्ववर्ती पेंशन योजना 2018 में किसी कारण से शामिल नहीं हो सके थे एवं जो आर्यावर्त बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम 2024 के अंतर्गत अर्ह है, उनको क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से अनिवार्य रूप से अवगत कराएँ कि वे अपने पेंशन / कुटुंब पेंशन आवेदन अंतिम पदस्थ क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से यथाशीघ्र (सेवानिवृत कार्मिको के मामले में अंतिम दिनांक 04-11-2024, सायं 05 बजे तक / दिवंगत सदस्यों के मामले में दिनांक 19-11-2024, सायं 05 बजे तक) जमा करना सुनिश्चित करें I उक्त योजना से सम्बंधित पेंशन आवेदन/विकल्प प्रपत्र, आर्यावर्त बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम 2024 (भारत का राजपत्र) आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु बैंक की वेबसाइट (पेंशन कार्नर) पर उपलब्ध है I

महाप्रबंधक,
आर्यावर्त बैंक,
प्रधान कार्यालय, लखनऊ